राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 208/2025

मुकेश कुमार माली

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, कृषि एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. श्री अनिल कुमार, कृषि अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, जिला परिषद्, ब्यावर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 27.01.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री वी एस भावला, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कृषि अधिकारी के पद पर (पौ. सं.) कार्यालय संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) अजमेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कृषि अधिकारी (सामान्य) कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (वि.), जि. प. ब्यावर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजन करने की दृष्टि से किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण दो वर्ष से पूर्व कर दिया गया है, जो राज्य सरकार की

स्थानांतरण नीति के विरूद्ध है। अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में अजमेर में कार्यरत है। राज्य सरकार की नीति रही है कि यथासम्भव पति–पत्नी को एक स्थान या निकटस्थ स्थान पर कार्यरत रखा जावे। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किये जावें।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। हम पाते है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर 10 माह से अधिक समय हो चुका है। अतः वर्तमान स्थान पर अपीलार्थी को प्रर्याप्त समय तक पदस्थापित रखे जाने के पश्चात् स्थानांतरण किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में किस स्थान पर प्राप्त करे।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)